न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी ओरछा, जिला—टीकमगढ़(म.प्र.)
(समक्ष—राघवेन्द्र पटेल)

Registration No.	645/2022
Filing No	1209/2022
C.N.R. No	MP3606-001266-2022
Filing Date	13.10.2022

(निर्णय दिनांक—21.02.2023)

आरक्षी केन्द्र—पृथ्वीपुर, तहसील—पृथ्वीपुर, जिला—टीकमगढ़, म.प्र. के **अपराध क0—350/2022 अंतर्गत धारा—294, 323, 506, 34** भा.दं.सं. से उद्भूत प्रकरण

परिवादी—:	मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—पृथ्वीपुर, जिला—टीकमगढ़, म.प्र।
प्रतिनिधित्व द्वारा—:	श्रीमती अर्चना जौहरया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त—:	1—रामप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र श्री सुक्के विश्वकर्मा, उम्र—61वर्ष, 2—अजय पुत्र श्री रामप्रकाश उर्फ प्रकाश विश्वकर्मा, उम्र—28वर्ष,
प्रतिनिधित्व द्वारा—:	श्री अशोक यादव अधिवक्ता।

प्रारूप—ड

अपराध की तारीख	28.05.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	28.05.2022
आरोप पत्र की तारीख	13.10.2022
आरोपों के विरचना की तारीख	20.02.2023

साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	20.02.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	....
दंडादेश यदि कोई हो, की तारीख	....

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दंडादेश	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दंप्रसं के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
पुरूष	रामप्रकाश उर्फ प्रकाश विश्वकर्मा	....	13.10.2022	294, 323 (2शीर्ष) विकल्प में 323 (2शीर्ष) सहपठित धारा–34, 190 भा.दं.सं.	दोषमुक्ति	....	....
पुरूष	अजय विश्वकर्मा	....	13.10.2022	294, 323 (2शीर्ष) विकल्प में 323 (2शीर्ष) सहपठित धारा–34, 190 भा.	दोषमुक्ति	....	....

				दं.सं.			

प्रारूप–च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
01	श्रीमती कमला	फरियादी
02	बिजय	आहत साक्षी

ख–प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य)
....	....	....

ग–न्यायालयीन साक्षी यदि कोई हो

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य)
....	....	....

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालीन प्रदर्शों की सूची

क–अभियोजन

सं.क	प्रदर्श	विवरण
01.	प्रदर्श पी 01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02.	प्रदर्श पी 02	साक्षी श्रीमती कमला का पुलिस कथन

03	प्रदर्श पी 03	नक्शा मौका
04	प्रदर्श पी 04	साक्षी बिजय का पुलिस कथन

ख–प्रतिरक्षा प्रदर्शों की सूची

सं.क	प्रदर्श	विवरण
....	....	....

ग–न्यायालीन प्रदर्श की सूची

स.क	प्रदर्श संख्या	विवरण
....	....	....

घ–आवश्यक वस्तुयें

सं.क	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
...	....	....

1. अभियुक्तगण पर दिनांक–25.05.2022 के लगभग 09:00 बजे फरियादी श्रीमती कमला विश्वकर्मा के घर के बाहर ग्राम–मोहनपुरा, अंतर्गत थाना पृथ्वीपुर लोकस्थान या उसके समीप फरियादी को मां–बहिन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य को क्षोभ कारित करने तथा उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी श्रीमती कमला व आहत बिजय को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने विकल्प में उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी श्रीमती कमला व बिजय को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित करने एवं उक्ताशय के अग्रसरण में फरियादी श्रीमती कमला व आहत बिजय को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने तथा उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी श्रीमती कमला को इस प्रयोजन से क्षति कारित करने की धमकी देने कि वह क्षति से संरक्षा के लिए वैध आवेदन ऐसे लोकसेवक से करने से विरत रहे, जो लोकसेवक के नाते उसकी संरक्षा करने या कराने हेतु वैध रूप से सशक्त है, का आरोप है, जो कि भा.दं.वि की धारा–294, 323(2शीर्ष) विकल्प में 323(2शीर्ष) सहपठित धारा–34, 190 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अभियुक्तगण और आहत श्रीमती कमला एवं बिजय के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को भा.द.स.

की धारा–294, 323(2शीर्ष) विकल्प में 323(2शीर्ष) सहपठित धारा–34 के आरोप से शमन के आधार पर **दोषमुक्त** किया गया है। निर्णय मात्र भा.द.स. की धारा–190 के संबंध में घोषित किया जा रहा है।

3. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक–28.05.2022 के सुबह लगभग 09 बजे फरियादी श्रीमती कमला बाहर मंदिर पर बैठी थी तभी उसका पति प्रकाश और लड़का अजय आये और कहा कि उन्हें कर्जा चुकाना है, कुछ पैसे उधार चाहिए, तब फरियादी ने मना किया। इसी बात पर फरियादी का पति और लड़का अजय मां–बहिन की बुरी–बुरी गालियां देने लगा। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो प्रकाश ने पेट में एक लात मार दी, फरियादी का लड़का बिजय बचाने आया तो अजय ने बिजय की लात–घूसों से मारपीट कर दी, जिससे बिजय को माथे व सीना में चोट आयी तथा अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी दी। फरियादी द्वारा थाना पृथ्वीपुर में घटना की रिपोर्ट लिखाये जाने पर थाना–पृथ्वीपुर द्वारा अपराध क्रमांक–350/2022, अंतर्गत धारा–294, 323, 506, 34 भा.दं.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, अन्वेषण के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, घटना स्थल का रेखाचित्र तैयार किया गया, आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त को आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि–

(1) क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक–25.05.2022 के लगभग 09:00 बजे फरियादी श्रीमती कमला विश्वकर्मा के घर के बाहर मंदिर ग्राम–मोहनपुरा, अंतर्गत थाना पृथ्वीपुर में फरियादी श्रीमती कमला को इस प्रयोजन से क्षति कारित करने की धमकी दी कि वह क्षति से संरक्षा के लिए वैध आवेदन ऐसे लोकसेवक से करने से विरत हो, जो लोकसेवक के नाते उसकी संरक्षा करने या कराने हेतु वैध रूप से सशक्त है?

/ निष्कर्ष के आधार /

6. श्रीमती कमला (अ.सा.क्र.–1) का कथन है कि वह अभियुक्त प्रकाश एवं अजय को जानती है। प्रकाश उसका पति एवं अजय उसका बड़ा वेटा है। घटना

उसके कथन अभिलिखित दिनांक–20.02.2023 से लगभग 9–10 माह पहले की सुबह 9 बजे की है। वह बाहर मंदिर पर बैठी थी तभी अभियुक्तगण आये और उससे व उसके लड़के बिजय से वाद–विवाद करने लगे। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने पृथ्वीपुर में की थी जिसमें उसने अंगूठा लगाया था। उसका इलाज पृथ्वीपुर में हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तथा उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जिस पर उसने अंगूठा लगाया था।

7. बिजय (अ.सा.क्र.–2) का कथन है कि वह अभियुक्त प्रकाश एवं अजय को जानता है। प्रकाश उसके पिता एवं अजय उसका बड़ा भाई है। घटना उसके कथन अभिलिखित दिनांक–20.02.2023 से लगभग 9–10 माह पहले की सुबह 9 बजे की है। उसकी मां बाहर मंदिर पर बैठी थी तभी अभियुक्तगण आये और उससे व उसकी मां से वाद–विवाद करने लगे। उक्त घटना की रिपोर्ट उसकी मां ने पृथ्वीपुर में की थी। पुलिस ने उसके समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी0–3 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. श्रीमती कमला (अ.सा.क्र.–1) ने अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रदर्श पी0–1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराने का कथन किया है। प्रदर्श पी0–1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लेख कराया गया है कि अभियुक्तगण ने गाली–गलौच करते हुए कहा था कि थाना रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देंगे। किंतु साक्षी ने न्यायालयीन कथन में इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है कि प्रश्नगत घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने साक्षी को रिपोर्ट करने की बात को लेकर यह धमकी दी थी कि यदि वह रिपोर्ट करने गयी, तो उसे जान से खत्म कर देंगे। साक्षी बिजय (अ.सा.क्र.–2) ने भी उक्त संबंध में कोई कथन नहीं किया है। दोनों ही साक्षियों ने क्रमशः प्रदर्श पी0–2 व 4 का ए से ए भाग जिसमें उक्त तथ्य लेख हैं, पुलिस को लेख कराने से इंकार किया है। परिणामस्वरूप निर्मित विचारणीय प्रश्न पर कोई साक्ष्य न होने के कारण निर्मित विचारणीय प्रश्न प्रमाणित नहीं हैं।

:: अंतिम आदेश ::

9. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि ''अभियुक्तगण ने घटना दिनांक–25.05.2022 के लगभग 09:00 बजे फरियादी श्रीमती कमला विश्वकर्मा के घर के बाहर मंदिर ग्राम–मोहनपुरा, अंतर्गत थाना पृथ्वीपुर में फरियादी श्रीमती

कमला को इस प्रयोजन से क्षति कारित करने की धमकी दी कि वह क्षति से संरक्षा के लिए वैध आवेदन ऐसे लोकसेवक से करने से विरत हो, जो लोकसेवक के नाते उसकी संरक्षा करने या कराने हेतु वैध रूप से सशक्त है। परिणामस्वरूप अभियुक्त रामप्रकाश उर्फ प्रकाश विश्वकर्मा एवं अजय विश्वकर्मा को भा.दं.सं. की धारा–190 के आरोप से **दोषमुक्त** कर स्वतंत्र किया जाता है।

10. अभियुक्तगण के प्रतिभूति एवं बंध पत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

11. प्रकरण में जप्त सम्पत्ति कुछ नहीं है।

12. अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण और विचारण के दौरान अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–428 अनुसार प्रमाणपत्र बनाकर अभिलेख के साथ संलग्न किया जाये।

स्थान–ओरछा मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

दिनांकः–21.02.2023

RAGHVENDRA PATEL Digitally signed by RAGHVENDRA PATEL Date: 2023.02.21 13:04:35 +0530

(राघवेन्द्र पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ओरछा, जिला–टीकमगढ म0प्र0